न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 146/2023 निर्णय दिनांकः 30.06.2025

ऑनलाईन नम्बर 2023/285

अरूण कुमार दत्तक पुत्र मोतीलाल जाति पुगलिया निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. कुसुम पुत्री मोतीलाल पत्नी संतोष कुमार जाति पुगलिया निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल 86, सरत चटर्जी रोड़, साउथ दम—दम लेक टाऊन नॉर्थ परगनास (पश्चिम बंगाल)
2. पुष्पा पुत्री मोतीलाल पत्नी अमर कुमार जाति पुगलिया निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल चौरड़िया चौक, नयी लाईन गंगाशहर जिला बीकानेर।
3. सरस्वती पत्नी फुसनाथ जाति सिद्ध निवासी मोमासर बास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. छाया मोदी पत्नी हनुमान प्रसाद मोदी जाति मोदी निवासी मोमासर बास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश पंवार अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 2 की ओर
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से
4. श्री राधेश्याम दर्जी अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5 की ओर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1178/1086 तादादी 0.230 हैक्टेयर गैरमुमकिन सड़क व खेत खसरा नम्बर 1180/1079 तादादी 5.99 हैक्टेयर कुल तादादी 6.22 हैक्टेयर वाकेरोही गुसांईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/6—1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा भूमि हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर 1180/1079 तादादी 5.99 हैक्टेयर वाकेरोही गुसांईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा निहित हैं । प्रार्थी के उक्त खेत में से श्रीडूंगरगढ़ से लूनकरणसर जाने वाली सड़क निकली हुई हैं, जिसके खसरा नम्बर 1178/1086 तादादी 0.23 हैक्टेयर हैं। प्रार्थी ने उक्त खेत के अपने हिस्सा भूमि 1/6 के चारो तरफ पीलर रोपकर तारबंदी कर रखी हैं। प्रार्थी की 1/6 हिस्सा भूमि में से रोड़ गुजरती हैं, प्रार्थी अपने हिस्सा भूमि में सफल काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने वादगत खेत के अपने 1/6 हिस्सा भूमि में ... करवाये है, तथा प्रार्थी ने अपने हिस्सा पर लाखो रूपये खर्चा करके उपजाऊ ब... खातेदारी संयुक्त होने की वजह से खेत में ट्यूब वैल बनाने, भूमि को ... केसीसी तथा खेत को और ज्यादा उपाजऊ बनाने में कई प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। प्रार्थी वादगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:19:41 IST
Reason: SelfAttested

(3)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खेत के अपने जायज हिस्सा को मौका पर कब्जा, काश्त के आधार पर विभाजित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करवाने हेतु, प्रार्थी ने उपरोक्त अनुवानी दावा विभाजन के अनुतोष का प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी ने वादगत खेत का खाता विभाजन करवाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 से दिनांक 02.10.2023 को निवेदन किया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी को वादगत खेत का खाता विभाजन करवाने हेतु स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया और प्रार्थी को ऐलालियां धमकी दी कि हम वादगत खेत का खाता विभाजन नही करवायेगें व तुम्हे बेदखल करवाये किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय, बैय हस्तान्तरण कर तुम्हे बबार्द कर देगें। इसलिए प्रार्थी के पास अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा अस्थाईगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। खेत खसरा नम्बर 1178/1086 तादादी 0.230 हैक्टेयर गैरमुमकिन सड़क व खेत खसरा नम्बर 1180/1079 तादादी 5.99 हैक्टेयर कुल तादादी 6.22 हैक्टेयर वाकेरोही गुसांईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में प्रार्थी का स्थित 1/6 हिस्सा भूमि निहित हैं। इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन का सिद्वान्त प्रार्थी पक्ष में बनता हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी को ऐलालियां धमकी दी कि हम वादगत खेत का खाता विभाजन नही करवायेगें व तुम्हे बेदखल करवाये किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय, बैय हस्तान्तरण कर तुम्हे बबार्द कर देगें। यदि अप्रार्थीगण अपने गलत मंशुबो में सफल हो गये तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में बनता हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वादगत खेत खसरा नम्बर 1178/1086 तादादी 0.230 हैक्टेयर गैरमुमकिन सड़क व खेत खसरा नम्बर 1180/1079 तादादी 5.99 हैक्टेयर कुल तादादी 6.22 हैक्टेयर वाकेरोही गुसांईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित प्रार्थी के 1/6 हिस्सा जिसमें से रोड़ गुजरती है तथा तारबंदी कर रखी है तथा प्रार्थी को उसके कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग की भूमि से बेदखल नही करें, कब्जा नही करे, ना ही किसी अन्य से करावें, प्रार्थी के कब्जा, काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार से दखलअंदाजी नही करें, ना ही वादगत खेत को खाता विभाजन से पूर्व विक्रय, बैय, हस्तान्तरण व अन्य किसी प्रकार से मुन्तिकल आदि नही करें तथा ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें, जिससे प्रार्थी वैद हितो पर विपरीत असर पड़ता हो ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 को दावा दायरी से पूर्व जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 5 के रूप में पक्षकारा संयोजित किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 व 5 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उभयपक्षकारान द्वार बहस का निवेदन किया गया। बहस उभयक्षकारान सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:19:41 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2004 RJ पृष्ठ संख्या 541 से 547 पेश की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादगत खेत में 1/2 हिस्सा की खातेदारी हम अप्रार्थिनीगण के पिता स्व. मोतीलाल जी के नाम से थी व 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थी के नाम से थी। प्रार्थी अरूण कुमार ने अपने 1/2 हिस्सा की भूमि को पूर्व में ही अप्रार्थी संख्या 3 को विक्रय कर दी थी। प्रार्थी ने गलत रूप से कपट पूर्वक हम अप्रार्थिगण के हिस्से की भूमि को हड़प करने के लिये झूठा शपथ–पत्र पेश कर हमारा हिस्से की 1/6 हिस्से की भूमि को हड़प कर गलत रूप हमारे हिस्सा की भूमि का अपने नाम से इंतकाल दर्ज करवा लिया। जबकि प्रार्थी हम अप्रार्थिनीगण के पिता स्व. मोतीलाल जी का गोद पुत्र नही है। प्रार्थी का वादगत खेत के किसी भी प्रकार से खातेदार नही है व ना ही किसी भी हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा है । जब प्रार्थी वादगत खेतो में किसी हिस्सा का खातेदार ही नही है व ना ही प्रार्थी का वादगत खेतो में किसी भी हिस्सा पर कब्जा काश्त है तो प्रार्थी द्वारा वादगत खेतों के किसी हिस्से पर ट्यूबवैल बनाने, भूमि को समतल बनाने व के.सी.सी. बनाने का प्रश्न ही पैदा नही होता । प्रार्थी को बिना खातेदारी व कब्जा के वादगत खेतो का विभाजन करवाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। जब प्रार्थी का वादगत खेतो पर कब्जा ही नही है, तो प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थिगण को वादगत खेतो का विभाजन करवाने का निवेदन करने व हम अप्रार्थिगण द्वारा प्रार्थी को वादगत खेतो का विभाजन करवाने से इन्कार करने व धमकीयां देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी का वादगत खेत में किसी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नही है । प्रार्थी ने छल कपटपूर्वक झूठा शपथ–पत्र पेश कर गंलत रूप से हमारे हिस्से की भूमि का अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवा लिया है। इसलिये प्रार्थी को हम अप्रार्थिनीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। प्रार्थी का वादगत खेतो का खातेदार नही है व ना ही प्रार्थी का किसी हिस्से पर कब्जा काश्त नही है, ना ही हम अप्रार्थिनीगण द्वारा प्रार्थी को कभी किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई है। प्रार्थी ने छल कपटपूर्वक झूठा शपथ–पत्र पेश कर गलत रूप से हमारे हिस्से की भूमि का अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवा लिया है। इसलिये प्रार्थी के पक्ष में ना तो प्रथम पक्ष दृष्टया मामला बनता है व ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है व ना ही अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। हम अप्रार्थिनीगण के पिता स्व. मोतीलाल पुगलिया की संयुक्त खातेदारी के खेत वर्तमान खसरा नम्बर 1178/1086 तादादी 0.2300 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन सड़क व वर्तमान खसरा नम्बर तादादी 5.9900 हैक्टेयर रोही गुसांईसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 1180/1079 में स्थित था। जिसमे 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी हम अप्रार्थिनीगण के पिता स्व. मोतील[illegible]या के नाम दर्ज थी व 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी प्रार्थी के [illegible] के पिता स्व. मोतीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:19:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

पुगलिया का स्वर्गवास दिनांक 22.07.2022 को हो गया है व हम अप्रार्थिनीगण की माता जतना देवी का स्वर्गवास पूर्व में ही हो चुका है। इसलिए हम अप्रार्थिनीगण के पिता स्व. मोतीलाल पुगलिया के स्वर्गवास के बाद वादगत खेतो में स्व. मोतीलाल पुगलिया के 1/2 हिस्सा भूमि पर हम अप्रार्थिनीगण का ही कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। हम अप्रार्थिनीगण अपने पिता स्व. मोतीलाल पुगलिया के हिस्सा की 1/2 हिस्सा भूमि का संयुक्त रूप से काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थी ने पूर्व में ही वादगत खेतो में अपने हिस्से की 1/2 हिस्सा भूमि को अप्रार्थी संख्या 3 सरस्वती पत्नी फुसनाथ जाति सिद्ध निवासी मोमासर बास, श्रीडूंगरगढ को विक्रय दिया था। उसके बाद वादगत खेतो में प्रार्थी का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा, ना ही वर्तमान में वादगत खेतो में प्रार्थी का किसी हिस्सा पर कोई कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने छल कपटपूर्वक झूठा शपथ–पत्र पेश कर गलत रूप से हमारे हिस्से की भूमि का अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवा लिया है। इसलिये खातेदारी व कब्जा काश्त के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है। वादगत खेतो में हम अप्रार्थिनीगण के पिता मोतीलाल पुगलिया के स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थी ने स्वयं को स्वर्गीय मोतीलाल पुगलिया का दतक पुत्र बताकर छल कपटपूर्वक झूठा शपथ–पत्र पेश कर वादगत खेतो में स्व. मोतीलाल पुगलिया के 1/2 हिस्सा भूमि में हम अप्रार्थिनीगण के साथ–साथ अपना नाम भी गलत रूप से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार प्रार्थी ने वादगत खेतो में हम अप्रार्थिनीगण की भूमि को गलत रूप से कपट व छल करते हुये हम अप्रार्थिगण के 1/6 हिस्सा भूमि की खातेदारी गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि हम अप्रार्थिनीगण के पिता स्व. मोतीलाल पुगलिया ने कभी भी प्रार्थी को गोद नही लिया ना ही कभी वादगत खेतो में मोतीलाल पुगलिया के हिस्सा की भूमि को प्रार्थी ने काश्त किया। वादगत खेतो में स्व. मोतीलाल पुगलिया के स्वर्गवास के पश्चात आज तक उनके 1/2 हिस्सा की भूमि पर हम अप्रार्थिगण का ही कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। हम अप्रार्थिनीगण के पिताजी मोतीलाल जी पुगलिया व उनकी पत्नी जतनादेवी ने कभी भी किसी गोद पुत्र को अपने जीवनकाल में गोद नही लिया था । हम अप्रार्थिनीगण के माता–पिता स्व. मोतीलाल पुगलिया व स्व. जतनादेवी पुगलिया ने अपनी संतान के रूप में अपनी दोनो पुत्रियों हम अप्रार्थिनीगण को ही रखा था और हमारी शादी विवाह आदि किये थे, पुत्र के रूप में उन्होने कभी किसी को गोद नही लिया था । हम अप्रार्थिनीगण की शादी के बाद हमारे अपने ससुराल जाने के बाद हम अप्रार्थिनीगण के माता – पिता मोतीलाल पुगलिया व जतना देवी अकेले ही रहते थे। हम अप्रार्थिनीगण ही समय–समय पर आकर अपने माता–पिता की देखभाल करती थी। इसलिये हम अप्रार्थिनीगण के माता–पिता स्व. मोतीलाल पुगलिया व स्व. जतना देवी ने कभी भी प्रार्थी को गोद नही लिया था । इसलिये प्रार्थी हमारे माता–पिता स्व. मोतीलाल पुगलिया व स्व. जतना देवी का गोद पुत्र नही है । इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गलत तथ्यो पर पेश किया जाने के कारण चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का आधार कार्ड संख्या 9946 9595 2933 अरुणकुमार पुगलिया पुत्र स्व. किशनलाल पुगलिया 89 महावीर नगर सिधी पार्क, टोक

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:19:41 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

रोड जयपुर, के नाम से है। प्रार्थी अरूण पुगलिया का जो जयपुर का राशन कार्ड बना हुआ है उसमें प्रार्थी की माता का नाम किरणदेवी व पिता का नाम किशनलाल अंकित है । प्रार्थी के पेन कार्ड व पासपोर्ट में भी प्रार्थी के पिता का नाम किशनलाल अंकित है व प्रार्थी का जयपुर का जो निर्वाचन मतदाता परिचय–पत्र बना हुआ है । उसमें भी प्रार्थी के पिता का नाम किशनलाल ही अंकित है व प्रार्थी के बैंक एकाउन्ट बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा डूंगरगढ में उसके पिता का नाम किशनलाल पुगलिया अंकित है जो दिनांक 10.01.2001 को खुलवाया गया है। इससे भी साबित होता है कि प्रार्थी अरुणकुमार पुगलिया को हम अप्रार्थिनीगण के पिता स्व. मोतीलाल जी व माता स्व. जतना देवी ने कभी गोद लिया था । प्रार्थी के राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम अरूण कुमार पुत्र किशनलाल ही अंकित है इससे भी साफ जाहिर होता है कि प्रार्थी अरूण कुमार कभी भी हम अप्रार्थिनीगण के पिता मोतीलाल जी व माता जतना देवी के गोद नही लिया हुआ है। यदि हम अप्रार्थिनीगण के माता–पिता मोतीलाल जी व जतना देवी प्रार्थी अरुणकुमार को गोद लेते तो उसका गोदनामा जरूर होता, क्योकि हम अप्रार्थिनीगण के पिता मोतीलाल जी पुगलिया पढे लिखे व समझदार व्यक्ति थे व श्रीडूंगरगढ की राजनिती में भी काफी सक्रिय रहे, वह कांग्रेस अध्यक्ष व काफी वर्षो तक पार्षद भी रहे थे। हम अप्रार्थिनीगण के पिता मोतीलाल पुगलिया व माता जतनादेवी ने अपने जीवनकाल में कभी भी प्रार्थी को गोदपुत्र के रूप में गोद नही लिया था । इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गलत तथ्यो पर आधारित होने के कारण चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी अरूण कुमार पुगलिया बहुत होशियार व चालाक व्यक्ति है। जिसने हम अप्रार्थिनीगण के पिता मोतीलाल जी का स्वर्गवास होने के पश्चात फर्जी, गलत व झूठा शपथ–पत्र पेश कर राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत करके लालचवंश गलत रूप से उक्त खेतो के इन्तकाल में अपना नाम खातेदारी में 1/6 हिस्सा में दर्ज करवा लिया। प्रार्थी अरूण कुमार पुगलिया को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही था। इस तरह से गलत व फर्जी रूप से प्रार्थी अरुणकुमार पुगलिया ने अपने आप को स्व. मोतीलाल पुगलिया का गोदपुत्र बताकर बिना गोदनामा के ही उक्त खेतो में अपने नाम से ईन्तकाल दर्ज करवाया लिया । इसलिए उक्त खेतो में प्रार्थी के नाम से दर्ज की गई 1/6 हिस्सा की खातेदारी शुरू से ही अवैध व शुन्य है। जिसकी जानकारी होने पर हम अप्रार्थिनीगण ने वादगत खेतो के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि से प्रार्थी का नाम हटवा कर वादगत खेतो के 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी हम अप्रार्थिनीगण के नाम दर्ज करवाने के लिये घोषणात्मक व चिरनिषेधाज्ञा का दावा अनुवानी कुसुम जैन आदि बनाम अरूण कुमार आदि दावा संख्या 15/2024 न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश किया जो न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.01.2025 है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गलत तथ्यो पर आधारित होने के कारण चलने योग्य नही है, खारिज [illegible] का वादगत खेतो में किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नही है, ना ही [illegible]र्थिनीगण द्वारा प्रार्थी को वादगत खेतो के सम्बन्ध कभी कोई धमकी [illegible] वादगत भूमि के सम्बन्ध घोषणात्मक दावा जैरकार होने के कारण व प्रार्थी का वादगत खेत पर कोई कब्जा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:19:41 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

नही होने के कारण प्रार्थी के पक्ष में ना तो प्रथम पक्ष दृष्टया मामला बनता है व ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है व ना ही अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी को हम अप्रार्थिनीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नही है एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1178/1086 तादादी 0.230 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1180/1079 तादादी 5.99 हैक्टेयर कुल तादादी 6.22 हैक्टेयर वाकेरोही गुसांईसर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित होने बाबत कोई आपति नही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त खेतो में अपना–अपना 1/6–1/6 हिस्सा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 04.10.2023 को मुझ अप्रार्थिनी को विक्रय कर दिया है। वादगत खेत में दिनांक 04.10.2023 के बाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्सा पर मुझ अप्रार्थिनी का ही कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में मुझ अप्रार्थिनी द्वारा अस्वीकार किये जाते है। प्रार्थी मुझ अप्रार्थिनी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने कानूनी अधिकारी नही है। प्रार्थी को वादगत खेतो के में ना तो प्रथम दृष्टया बनता व ना ही सुविधा का संतुलन व अपूत्येक क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। वादगत खेतो में मुझ अप्रार्थिनी के नाम अपने हिस्सा भूमि का इन्तकाल दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थिनी का अपूर्त्यक क्षति हो रही है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1178/1086 तादादी 0.230 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1180/1079 तादादी 5.99 हैक्टेयर कुल तादादी 6.22 हैक्टेयर वाकेरोही गुसांईसर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित होने बाबत कोई आपति नही है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त खेतो में अपना–अपना 1/6–1/6 हिस्सा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 04.10.2023 को मुझ अप्रार्थिनी को विक्रय कर दिया है। वादगत खेत में दिनांक 04.10.2023 के बाद अप्रार्थिनी संख्या 1 व 2 के हिस्सा पर मुझ अप्रार्थिनी का ही कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में वादगत खेतों में अप्रार्थिनी के नाम से आज तक इन्तकाल दर्ज नही हुआ है। वादगत खेतो के राजस्व रेकार्ड में आज भी अप्रार्थिनी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज चली आ रही है। लेकिन वादगत खेतो में मौके पर अप्रार्थिनी संख्या 1 व 2 का कब्जा नही है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1178/1086 तादादी 0.230 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1180/1079 तादादी 5.99 हैक्टेयर कुल तादादी 6.22 हैक्टेयर वाकेरोही गुसांईसर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित होने बाबत कोई आपति नही है। प्रार्थिनी संख्या 1 व 2 ने उक्त खेतो में अपना–अपना 1/6–1/6 हिस्सा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 04.10.2023 को मुझ अप्रार्थिनी को विक्रय कर दिया है। वादगत खेत में दिनांक 04.10.2023 के बाद अप्रार्थिनी संख्या 1 व 2 के हिस्सा पर मुझ अप्रार्थिनी का ही कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:19:41 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

आ रहा है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में वादगत खेतों में मुझ अप्रार्थिनी के नाम से आज तक इन्तकाल दर्ज नही हुआ है। वादगत खेतो का इन्तकाल मुझ अप्रार्थिनी के नाम दर्ज नही होने के कारण मैं अपने हिस्सा की भूमि पर टयूवैल नही बना पा रही हू व विकास कार्य नही बना पा रही है व ना ही बैक से के.सी.सी बना पा रही हूं। मुझे काफी परेशानी हो रही है। इसलिये अपूर्त्यक क्षति का सिद्धान्त मुझ अप्रार्थिनी के पक्ष में है। वादगत खेतो के राजस्व रेकार्ड अप्रार्थिनी संख्या 1 व 2 ने अपना–अपना 1/6–1/6 हिस्सा मुझ अप्रार्थिनी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र विक्रय कर दिया है। लेकिन वादगत खेतो के सम्बन्ध में यथास्थिति आदेश होने के कारण वादगत खेतो में अप्रार्थिनी संख्या 1 व 2 के हिस्सा की भूमि का मुझ अप्रार्थिनी के नाम इन्तकाल दर्ज नही हो पा रहा है । इसलिये वादगत खेतो में प्रार्थी के हिस्सा की भूमि विभाजन किया जाता है तो मुझ अप्रार्थिनी के नाम रजिस्टर्ड विक्रय 04.10.2023 के बाद अनुसार अप्रार्थिनी संख्या 1 व 2 के हिस्सा की 1/6–1/6 हिस्सा भूमि का इंतकाल दर्ज कर विभाजन किया जावे।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया। वादगत खसरान भूमि खेत खसरा नम्बर 1178/1086 तादादी 0.230 हैक्टेयर गैरमुमकिन सड़क व खेत खसरा नम्बर 1180/1079 तादादी 5.99 हैक्टेयर वाकेरोही गुसांईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर तहसील श्रीडूंगरगढ का निर्धारण मूल वाद में पूर्ण साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। दौराने वाद यदि अराजी को खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता बढेगी। अन्तरिम आदेश यदि पारित नहीं किया गया तो वाद बाहुल्यता की संभावना है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों कें संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनायें रखना है। प्रथम दृष्ट्या, मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान तादावा फैसला मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।

आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:19:41 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ